संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.–3

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांक– 25 जून, 2004**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्य न्यायालय में योजित याचिका संख्या–196/2001 पीपुल्स युनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2001 के समादर में श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के क्रम में नीचे से चयनित प्रदेश के 25 प्रतिशत अर्थात 16 निम्न जनपदों– 1. बहराइच, 2. हरदोई, 3. लखीमपुर खीरी, 4. सोनभद्र, 5. उन्नाव, 6. रायबरेली, 7. प्रतापगढ़, 8. सीतापुर, 9. गोण्डा, 10. फैजाबाद, 11. बाराबंकी, 12 मऊ, 13. इटावा, 14. सुल्तानपुर, 15. लखनऊ, 16. शाहजहाँपुर में बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) योजना लागू किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

1. प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ष में कम से कम 200 दिन पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन हानी अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से बच्चों को ग्राम पंचायत/वार्ड कमेटियों के माध्यम से पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की जाएगी जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा), नमकीन दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल चावल, सब्जी चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3. भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता न लेते हुए ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी तथा भोजन पकाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप)/एन. जी.ओ. की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेगी।

4. खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) निम्नलिखित स्रोतो से वहन की जाएगी :–

1. 25 प्रति.पी.एम.जी.वाई.योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से।
2. 25 प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषण से।
3. 50 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में खाना पकाने वाली संस्था को (02 किग्रा प्रति छात्र प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराकर) (यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गठित की जाएगी।

1. ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका–पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :–

1. सम्बन्धित वार्ड सभासद	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य

9. भारत खाद्य निगम/उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी — सदस्य

11. उक्त योजना की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर भी निम्नवत् एक समिति गठित की जाएगी जो योजना की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगीः—

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास
6. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग
10. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद

12. इस योजना पर आने वाले व्यय—भार के निमित्त वित्तीय स्वीकृत के आदेश अलग से निर्गत किए जाएगें।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अद्धशासकीय संख्या—ई—11/1047/दस—2004 दिनांक 18.6.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
ह0
(हरिराज किशोर)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव